न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 120/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रहलादराम व अन्य		गोरधनराम व अन्य

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनाक 5/3/2021

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण खसरा नं. 146/1 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 146 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 145 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 144/2 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार हैं तथा वादीगण के उपरोक्त खसरों के पूर्व दिशा की तरफ खसरा नं. 156 आया हुआ है। जिसके बटा नम्बरों में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की खातेदारी कृषि भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खसरों के बीच में बहुत पुरानी एक माठ थी, वादीगण की अपनी कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु स्थाई रास्ते की आवश्यकता थी इसलिये सभी वादीगणों ने संयुक्त रूप से 1 बीघा भूमि सड़क हेतु समर्पित करवाई एवं जिस समय समर्पण की कार्यवाही की जा रही थी उस दौरान दोनों पक्षकारों ने माठ को भी सीधा कर दिया, जिस समय यह तमाम कार्यवाही की जा रही थी तब प्रतिवादीगण के माठ की मिट्टी को वादीगण के खेतों में गिराकर समतल करवा दिया तथा आश्वासन दिया कि पटवारी से माप करवाकर समर्पित भूमि व प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य मुटाम लगवा दिये जावेगें तथा वादीगण भी इस आश्वासन में आश्वस्त होकर बैठ गये। जब सड़क निकालने हेतु मौका साफ किया जा रहा था तथा माठ भी तोडी जा चुकी थी तो प्रतिवादीगण ने वादीगणों की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में 10 से 15 फुट तक अन्दर घुसकर छीणें रोपकर तारबन्दी कर दी तथा जबरदस्ती से रास्ते की भूमि को पश्चिम की ओर यानी वादीगण की जमीन में धकेल दिया इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी जमीन में 10–15 फुट पर कब्जा कर लिया। अतः अतिक्रमीत भाग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उसका कब्जा वादीगण को दिलाने की डिक्री जारी की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये दौराने दावा वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 10 प्रस्तुत कर कमिश्नर के जरिये पैमाईश करवाने का निवेदन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.4.16 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार लुणी को पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार लुणी ने हल्का पटवारी से पैमाईश करवाकर दिनांक 06.5.2016 को इस न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की तत्पश्चात दिनांक 11.5.2016 को पटवारी कालीजाल व भु.अ. निरीक्षक, धवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार लुणी के पत्रांक 347 दिनांक 06.5.2016 की अनुशंषा के आधार पर तरमीम/पैमाईश दिनांक 4.5.16 के अनुसार मौके पर पत्थर गढ़ी करवाई जाने के आदेश जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा पत्थर गढ़ी के संबंध जारी किये गये आदेश दिनांक 11.5.2016 से असन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 118/16 दायर की जो माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा दिनांक 17.5.17 को खारिज फरमाई गई तत्पश्चात आदेश दिनांक 17.5.17 के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 5131/2018 दायर की जो माननीय राजस्व मण्डल दिनांक 01.04.2019 द्वारा खारिज कर दी गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.19 के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने कोई चाराजोही नहीं की तथा माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 1.4.19 अन्तिम हो गया फलस्वरूप पत्थर गढ़ी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.16 पुष्ट हो गया।

वादीगण की ओर से दिनांक 05.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पत्थर गढ़ी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 11.5.16 की पालना हेतु तहसीलदार को निवेदन किया जा चुका हैं परन्तु इस वाद के जरिये वादीगण ने विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाने की इस्तदुआ चाही है इसलिये इस वाद में कब्जा की डिक्री पारित जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में दिनांक 11.02.2020 को वादी रूगनाथराम का शपथ प्रस्तुत किया था तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 16, 48, 54 तथा 83 तथा जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 35, 62, 85 एवं 14 प्रदर्श पी.1 से प्रदर्श पी–8 तथा पैमाईश रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.16 प्रदर्श पी–10 प्रस्तुत कर प्रदर्श मार्क करवाये। प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.5.16 को चुनौती दी थी तथा आदेश दिनांक 11.05.16 राजस्व मण्डल द्वारा बहाल रखा गया है प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.16 के विरूद्ध अपील करने से यह जाहिर होता है कि उन पर इस न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील हो गई थी तथा प्रतिवादीगण को इस वाद की जानकारी है परन्तु प्रतिवादीगण ने ना तो इस वाद में जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को खण्डित नहीं किया है तथा साथ ही पटवारी एवं भु अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.16 प्रदर्श पी–10 को भी खण्डित नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रही है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य तथा पटवारी कालीजाल एवं भु अभिलेख निरीक्षक, धवा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.16 प्रदर्श पी–10 का अवलोकन करने से यह सांबित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भुमि खसरा नं. 146/1, 146, 145, 144/1 के पूर्व दिशा की ओर अतिक्रमण कर रखा है इसलिये वादीगण उपरोक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 में वर्णित एवं चिन्हित अतिक्रमित भाग का कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत अपील सख्या 513/2018 के निर्णय अनुसार सम्भागीय आयुक्त जोधपुर का निष्कर्ष पूर्णतया सही एव विधिसम्मत माना गया उसमे अपील के माध्यम से किसी प्रकार से हस्ताक्षेप किया जाना उचित नही माना। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर राजस्व प्रथम अपील सख्या 118/2016 गोरधन बनाम प्रहलादराम वगैरा मे प्रस्तुत अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार मे नही होने से इस आधार पर खारीज की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की जाती है। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि मौका फर्द दिनाक 04.05.2016 अनुसार वादीगण को प्रतिवादीगण से चिन्हित अतिक्रमित भाग का नियामनुसार कब्जा सुपुर्द कर पत्थरगढी करे। उक्त मौका फर्द आदेश व डिकी का अग शुमार है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो

आदेश सरे इजलास आज दिनाक 5/3/2021 सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी